झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय :– झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या–36039/1/2019–स्था (आ0), दिनांक–19.01.2019 के द्वारा सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु आरक्षण स्कीम के अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षण में अनाच्छादित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में कतिपय निदेश जारी किए गए हैं। पुनः भारत सरकार के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक–31.01.2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को आवश्यक अनुकूलनोपरान्त निम्नवत् अंगीकृत करती है :–

2. **आरक्षण का परिमाण** :–

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के लिए आरक्षण के स्कीम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उन्हें झारखण्ड सरकार के सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा।

3. **आरक्षण से छूट** :–

3.1 वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद, जो निम्नलिखित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं, उन्हें मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के दायरे से मुक्त रखा जा सकेगाः–

(i) संबंधित सेवाओं के समूह ए में निम्नतम ग्रेड से ऊपर ग्रेड के पद होने चाहिए।

(ii) भारत सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्यालय ज्ञापन सं0–85, दिनांक–28.12.1961) के अनुसार उन्हें ''वैज्ञानिक अथवा तकनीकी'' वर्गीकृत होना चाहिए, जिसके अनुसार वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद जिसके लिए, प्राकृतिक

विज्ञान, परिशुद्ध विज्ञान, या अनुप्रयुक्त विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी में योग्यता विहित हो और पदधारकों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उस ज्ञान का उपयोग करना पड़ता हो।

(iii) ये पद 'अनुसंधान के संचालन' अथवा 'अनुसंधान के मार्गदर्शन, आयोजन तथा निर्देशन' से सम्बन्धित होने चाहिए।

3.2 आरक्षण स्कीम के दायरे से उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी पद को छूट देने से पूर्व सरकार का आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. **आमदनी तथा सम्पति के मापदण्ड**

4.1 वे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के आरक्षण स्कीम से आच्छादित नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8,00,000 (आठ लाख) रूपये से कम है, को आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रूप में विचार किया जाएगा। आय में, आवेदन वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली आय सम्मिलित होगी।

उन व्यक्तियों को जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति हो या धारित करते हों उनकी पारिवारिक आय पर विचार किये बिना, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग की कोटि से बाहर रखा जाएगा :-

(i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि,

(ii) 1000 वर्गफीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट,

(iii) अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्गगज या उससे अधिक का आवासीय भू-खण्ड,

(iv) अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्गगज या उससे अधिक का आवासीय भू-खण्ड।

4.2 आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का दर्जा निर्धारित करने के लिए एक ''परिवार'' द्वारा धारित विभिन्न लोकेशन अथवा विभिन्न स्थानों/शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पति को जोड़ कर विचार किया जाएगा।

4.3 इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति/पत्नी, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई–बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

5. आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार तथा प्रमाण पत्र का सत्यापन

5.1 आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, अनुसूची –I में विहित प्रपत्र में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकार द्वारा जारी आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा :–

(i) उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/अनुमण्डल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी,

(ii) अंचल अधिकारी

5.2 विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने के उपरांत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत किया जाएगा।

5.3 नियुक्ति प्राधिकारी, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का दावा करने वाले आवेदकों की नियुक्ति के प्रस्ताव में, निम्न शर्त को अंकित करेगा :–

''यह नियुक्ति औपबंधिक तथा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किए जाने के अध्ययधीन होगी तथा यदि सत्यापन के क्रम में पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित होने का दावा गलत है तो यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी तथा फर्जी/गलत प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारतीय दंड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अधीन की जाने वाले कार्रवाई की जा सकेगी''

नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

5.4 उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी व्यक्ति के लिए गलत दावे के आधार पर नियोजन प्राप्त करना संभव न हो और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के मिथ्या दावे के आधार पर नियोजन प्राप्त करता है तो उसकी सेवा, नियुक्ति पत्र में अन्तर्विष्ट शर्तों के आधार पर समाप्त कर दी जायेगी।

6. **आरक्षण का प्रभाव–रोस्टर का अनुरक्षण**

6.1 झारखण्ड राज्य में आरक्षण आधारित रोस्टर तैयार करने और उसके संचालन के लिए सामान्य सिद्वान्त का प्रतिपादन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा जारी विभागीय संकल्प सं0–1072, दिनांक–17.02.2009 द्वारा किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण रोस्टर उक्त संकल्प में निर्धारित सिद्वांतों के अनुसार होगा।

6.2 प्रत्येक सरकारी स्थापना अब आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10% आरक्षण को प्रभावी बनाने के निमित्त आरक्षण रोस्टर में SC, ST तथा BC-I एवं BC-II के साथ अन्तर्वेशन (Interpolation) करते हुए यथास्थिति परिशिष्ट II (राज्य स्तरीय पदों एवं सेवा/संवर्गों/पदों पर सीधी भर्ती के लिए 1–50 बिन्दु का आदर्श रोस्टर) तथा परिशिष्ट III (सीधी भर्ती के लिए 11 पदों/स्थानों का आदर्श आरक्षण रोस्टर –छोटे संवर्गों के लिए) में दी गयी विवरणी के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर पंजी का पुनर्गठन करेंगे।

रोस्टर बिन्दु तय करते समय यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का रोस्टर बिन्दु SC/ST/BC-I/BC-II के रोस्टर बिन्दु से Coincide करता है तो अगला उपलब्ध अनारक्षित बिन्दु आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को आबंटित किया जाएगा तथा "Squeezing" के सिद्धान्त के आधार पर रोस्टर बनाते समय संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी निर्धारित 10% के आरक्षण को पूरा करने के लिए रोस्टर के अंतिम बिन्दु को यथा समरूप "Squeeze" कर सकते हैं।

6.3 जहाँ किसी भर्त्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए कर्णांकित कोई रिक्ति आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सके, वहाँ उस रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष के बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

6.4 यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य का चयन बेंचमार्क निःशक्तता (Benchmark Disabilities) के लिए निर्धारित व्यक्तियों के कोटे में होता है तो उसे

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए कर्णांकित रोस्टर बिन्दु पर ही रखा जाएगा।

7. **अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समंजन**

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति में प्रतिस्पर्धा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो मेधा के आधार पर चुने जाते हैं, न कि आरक्षण के आधार पर, उनकी गणना आरक्षित श्रेणी में नहीं की जाएगी।

8. **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के प्रतिनिधित्व का पाक्षिक/वार्षिक प्रतिवेदन**

दिनांक–15.02.2019 से राज्य सरकार के विभाग अपने तथा संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों का समेकित पाक्षिक प्रतिवेदन परिशिष्ट IV के विहित प्रपत्र में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजेंगे।

9. **शिकायतों से संबंधित पंजी का सरकारी स्थापनाओं के द्वारा संधारण**

9.1 सभी सरकारी स्थापना शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में विभाग के किसी वरीय पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे।

9.2 आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के विरूद्ध नियुक्ति में भेदभाव से संबंधित किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति संबंधित सरकारी स्थापना के शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं सम्पर्क ब्यौरा को संबंधित स्थापना के वेबसाईट एवं कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

10. **सम्पर्क पदाधिकारी**

सभी विभाग तथा संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु आरक्षण के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु सम्पर्क पदाधिकारी मनोनीत करेंगे।

11. उपर्युक्त आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिनांक–15.01.2019 या उसके बाद विज्ञापित सीधी नियुक्ति के पदों की रिक्तियों के संदर्भ में प्रभावी होंगे।

12. सभी विभाग से अपेक्षित है कि उपर्युक्त निदेश अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारों के संज्ञान में लाया जायेगा। इस संकल्प के प्रावधानों के कार्यान्वयन में कोई

कठिनाई होने पर संबंधित प्राधिकारी अपने प्रशासी विभाग के माध्यम से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संपर्क कर सकता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करेंगे। इस प्रकार से निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का लाभ झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का उपबन्ध किए जाने के उपरांत अनुमान्य होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1072, दिनांक–17.02.2009 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–03 / 2019 का०– 1433 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–03 / 2019 का०– 1433 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

sanlekh

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–03 / 2019 का॰– 1433 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 15/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

sanlekh

परिशिष्ट–I

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.__________________ Date:_____________

VALID FOR THE YEAR__________

This is certify that Shri/Smt./Kumari_________________________ son/daughter/wife of ________________________ permanent resident of __________________________ village/Street_______________________ post Office ____________________ District ______________________ in the State/Union Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____________. His/her family does not own or possess any of the following assests***:

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _________________________ belongs to the ____________ caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Signature with seal of office____________________

Name ______________________________

Designation ______________________

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

---

*Note1:. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.